शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-02/2020/518/बीस-मु0रि0का0-20-05/2004

प्रेषक,

रचना गुप्ता,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सचिवालय प्रशासन विभाग, मुख्य प्रवेश पत्र कार्यालय लखनऊः दिनांक 31 जनवरी, 2020

विषयः-मुख्य प्रवेश पत्र कार्यालय, उत्तर प्रदेश सचिवालय द्वारा कलेण्डर वर्ष 2019 (दिसम्बर, 2019 तक मान्य) में निर्गत किये गये प्रवेश-पत्रों की वैधता अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-01/2020/3795/बीस-मु0रि0का0-2020-05/2004, दिनांक 01.01.2020 द्वारा मुख्य प्रवेश पत्र कार्यालय, सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा कलेण्डर वर्ष-2019 (दिसम्बर 2019 तक मान्य) के लिये निर्गत किये गये समस्त प्रकार के निजी प्रवेश पत्रों एवं वाहन प्रवेश पत्रों की वैधता अवधि 31 जनवरी, 2020 तक बढ़ायी गयी थी।

2- उक्त संदर्भ में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 01.01.2020 के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त् मुख्य प्रवेश पत्र कार्यालय, सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा कलेण्डर वर्ष-2019 (दिसम्बर 2019 तक मान्य) के लिये निर्गत किये गये समस्त प्रकार के निजी प्रवेश पत्रों एवं वाहन प्रवेश पत्रों की वैधता अवधि 15 फरवरी, 2020 तक बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया है।

3- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020 के लिये निर्गत किये जाने वाले सचिवालय निजी प्रवेश पत्र एवं वाहन प्रवेश पत्रों से सम्बन्धित आवेदन पत्र एवं प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या-06/2019/3792/बीस-मु0रि0का0-19-04/2004, दिनांक 31.12.2019 द्वारा विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये हैं। अतः अनुरोध है कि कृपया ''उ0प्र0 सचिवालय प्रवेश नीति-2018'' में निर्धारित प्रक्रिया एवं उक्त शासनादेश दिनांक 31.12.2019 में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार सम्बन्धित प्रस्ताव मुख्य प्रवेश पत्र कार्यालय को उपलब्ध कराने एवं तदनुसार अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीया,

(रचना गुप्ता)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-02/2020/518(1)/बीस-मु0रि0का0-2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश के निजी सचिव।

2- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।

3- पटल कार्यालय, विधान सभा/विधान परिषद सचिवालय, उ0प्र0 लखनऊ।

4- मा0 उप मुख्य मंत्रीगण, मा0 मंत्रीगण, मा0 राज्य मंत्रीगण(स्वतंत्र प्रभार), मा0 राज्य मंत्रीगण, उत्तर प्रदेश शासन के निजी सचिव।

5- मुख्य सचिव/मुख्य स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के निजी सचिव।

6- मुख्य सुरक्षा अधिकारी/मुख्य व्यवस्थाधिकारी, विधान भवन, उ0प्र0।

7- मुख्य सुरक्षा अधिकारी, मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।

8- राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उ0प्र0 सचिवालय।

9- तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 एवं तकनीकी सलाहकार, सचिवालय प्रशासन विभाग, उ0प्र0 शासन।

10- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष/निगमों के प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0।

11- समस्त शाखा अधिष्ठान, उ0प्र0 सचिवालय।

12- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(रचना गुप्ता)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।